

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: डीसी/लूज/2013/

दिनांक:

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान

विषय:- जिला औषधि भंडारों पर expired/broken/spoilage/wastage medicines, surgicals and sutures etc. के निस्तारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- राजस्थान मेडीकल सर्विस कारपोरेशन, जयपुर के पत्र संख्या 3555 दिनांक 26.08.13 एवं 641 दिनांक 08.07.13 के क्रम में।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि जिला औषधि भंडार स्तर पर expired/broken/spoilage/wastage medicines, surgicals and sutures etc. के निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भंडार, औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं आंतरिक अंकेक्षक (Internal Auditor) की कमेटी द्वारा कार्यवाही की जानी है।

अतः एतद द्वारा समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भंडार द्वारा सम्पर्क किये जाने पर उक्तानुसार जिला स्तरीय निस्तारण कमेटी के सदस्य की हैसियत से निस्तारण कार्यवाही करावें।

क्रमांक: डीसी/लूज/2013/510

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 10.11.2013

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान मेडीकल सर्विस कारपोरेशन, जयपुर को उनके पत्र संख्या F.5/RMSC/QC/2013/ dated 13.11.2013 के क्रम में।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भंडार, राजस्थान।

4. इन्चार्ज सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उपर फा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे एवं समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को ई-मेल पर प्रेषित करे।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर